उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय,

चतुर्थ / पंचम तल,इन्दिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ-226001

पत्र संख्या-एफएस / 2017 / 28200 / एलकेडब्ल्यू / लखनऊ / 2357 / जेडी दिनांकः मार्च 10,2017

सेवा मे,

मुख्य प्रबन्धक,
ओमेक्स लिमिटेड,
साइबर टावर,द्वितीय तल,
विभूतिखण्ड,गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषयः- खसरा-69,70,71,72,73,74,व 75, सेक्टर-7 ग्राम-अहिमामऊ, सुल्तानपुर रोड, गोमतीनगर विस्तार जिला-लखनऊ मे ओमेक्स लि0 द्वारा प्रस्तावित संशोधित समूह आवास (ओमेक्स हाईट-2) भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

यूआईडी नम्बर-2017 / 28200 / एलकेडब्ल्यू / लखनऊ / 2357 / जेडी दिनांक-09.03.17

....

कृपया अपने पत्र संख्या-रहित दिनांक-03.03.17 तथा आप द्वारा फायर सर्विस वेवसाइड पर अपलोड टिकट नम्बर-2017 / 28200 / एलकेडब्ल्यू / लखनऊ / 2357 / जेडी दिनांक-09.03.17 के माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित संशोधित समूह आवास भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास भवन का इस कार्यालय के पत्र संख्या-एफएस-1076 / 20140 (125) दिनांक-13.10.14 के द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है पुनः आपके के द्वारा प्रस्तुत संशोधित समूह आवास भवन के मानचित्र मे प्राविधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओ एवं अभिलेखो का भौतिक परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर की आख्या दिनांक-09.03.17, मुख्य अग्निशमन अधिकारी / उप निदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ / फैजाबाद की आख्या दिनांक-10.03.17 का सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया गया जो निम्नवत है-

भवन की संरचनाः-

1-कुल भूखण्ड एरिया- 17038.55 वर्गमीटर।

टावर-1

- भूतल का कर्वड एरिया- 508.69 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कर्वड एरिया- 438.17 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 16 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 472.72 वर्गमीटर।
- 17 वें तल का कवर्ड एरिया- 488.33 वर्गमीटर।
- 18 वें तल का कवर्ड एरिया- 410.17 वर्गमीटर।

टावर-2

- भूतल का कर्वड एरिया- 508.69 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कर्वड एरिया- 438.17 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 19 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 472.72 वर्गमीटर।
- 20 वें तल का कवर्ड एरिया- 488.33 वर्गमीटर।
- 21 वें तल का कवर्ड एरिया- 410.17 वर्गमीटर।

टावर-3

- भूतल का कर्वड एरिया- 508.69 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कर्वड एरिया- 438.17 वर्गमीटर।

- द्वितीय तल से 22 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया– 472.72 वर्गमीटर।
- 23 वें तल का कवर्ड एरिया– 488.33 वर्गमीटर।
- 24 वें तल का कवर्ड एरिया– 410.17 वर्गमीटर।

टावर–4

- भूतल का कर्वड एरिया– 508.69 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कर्वड एरिया– 438.17 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 19 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया– 472.72 वर्गमीटर।
- 20 वें तल का कवर्ड एरिया– 488.33 वर्गमीटर।
- 21 वें तल का कवर्ड एरिया– 410.17 वर्गमीटर।

टावर–5

- भूतल का कर्वड एरिया– 508.69 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कर्वड एरिया– 438.17 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 16 वे तल का टिपिकल कवर्ड एरिया– 472.72 वर्गमीटर।
- 17 वें तल का कवर्ड एरिया– 488.33 वर्गमीटर।
- 18 वें तल का कवर्ड एरिया– 410.17 वर्गमीटर।

क्लब एण्ड भाप–

- भूतल का कर्वड एरिया– 576.39 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कर्वड एरिया– 497.93 वर्गमीटर।

2–बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया– 8639.25वर्गमीटर।

3–भवन के प्रत्येक टावर की ऊँचाई निम्नवत है–

- टावर–1 व टावर–5 प्रत्येक की ऊँचाई–56.975 मीटर।टावर–2 व टावर–4 प्रत्येक की ऊँचाई–68.875 मीटर।टावर–3 की ऊँचाई–77.800 मीटर तथा क्लब की ऊँचाई–06.55 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्र नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया हैं।

ढाँचागत व्यवस्था –

1–पहुँच मार्ग–भूखण्ड के सामने मानचित्र मे 18.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2–दो प्रवे ा व दो निकास द्वार प्रत्येक की चौड़ाई–06.00 मीटर है जो मानक के अनुसार है।

3–सेटबैक–भवन का न्यूनतम सैटबैक निम्नवत हैं–

- अग्रभाग– 16.00 मीटर।
- पृष्ठभाग– 16.00 मीटर।
- पा र्वभाग प्रथम– 16.00 मीटर।
- पा र्वभाग द्वितीय– 16.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के समस्त टावर एक दूसरे से जुडे हैं। सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें।सेटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा। भवन के बेसमेन्ट का कुछ भाग बिल्डिग एनवलप से बाहर है इसलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बेसमेन्ट की छत का भार वहन क्षमता 45 टन सहन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4–निकास मार्ग–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई–01.50 मीटर तथा क्लब मे 01 स्टेयर केस–02.00 मीटर चौडी का प्राविधान किया गया है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।

5–रिफ्यूज एरिया का विवरण–प्रत्येक आवासीय फ्लैट मे बालकनी प्रस्तावित है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था–नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1–**भूमिगत टैंक**–भूमिगत टैंक–100000 लीटर क्षमता का मानचित्र मे प्राविधानित है। परन्तु भूमिगत टैंक 400000 लीटर क्षमता का निर्मित किया जाना आवश्यक होगा।

2–**पम्प**–भूमिगत टैंक के पास मेन पम्प–2280 एलपीएम क्षमता का 02 विद्युत चालित पम्प 01 डीजल चालित पम्प 2280 एलपीएम क्षमता तथा 01 जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का व एक वाटर कर्टेन पम्प 1800 एलपीएम क्षमता का प्राविधान मानचित्र मे किया गया है।

3–**होजरील**–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिग वाल्ब आई0एस0–3844 मानको के अनुसार प्राविधानित हैं।

4–**वेटराइजर**–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0–2005 के मानको के अनुरुप प्राविधानित है।

5–**यार्ड हाइड्रेन्टस्**–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर के चारो ओर यार्ड हाईडेण्टस होज कैबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान किया गया है।

6–**हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम**–भवन के प्रत्येक टावर मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7–**स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम**–भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8–**स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम**–बेसमेन्ट सहित प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

9–**टेरिस टैंक**–भवन के प्रत्येक टावर व क्लब के टैरिस पर टेरिस टैंक–10000 लीटर क्षमता का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

10–**टेरिस पम्प**–क्लब के टैरिस पर 450 एलपीएम क्षमता का टैरिस पम्प स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

11–**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूसर)**–भवन प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधानित है।

12–**स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम**–भवन के बेसमेन्ट मे एनबीसी मानको के अनुरुप स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

13–**एग्जिट साइनेज**–सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साइनेज का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

14–**पी0ए0 सिस्टम**–सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार खसरा–69,70,71,72,73,74,व 75, सेक्टर–7 ग्राम–अहिमामऊ, सुल्तानपुर रोड गोमतीनगर विस्तार जिला–लखनऊ मे ओमेक्स लि0 द्वारा प्रस्तावित समूह आवास (ओमेक्स हाईट–2) भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई मे अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया–2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक–अनुमोदित मानचित्र

10/3/17

(जे0के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक (एफ/पी),
फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0
लखनऊ।

प्रतिलिपि–उप निदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद को सूचनार्थ एवं समस्त अभिलेखों के सुरक्षित रखाव तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी ,लखनऊ को सूचनार्थ एवं समस्त अभिलेखो के सुरक्षित रख रखाव तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।